तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आसोकु बनाम बच्चू वगै०	नम्बव अहक हुक्म में ज
03/06/2025	पत्रावली पेश हुई। आखि० उभयपक्ष उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार होनेबर तेकम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 37 / 2024

1. अशोक पुत्र वच्चूसिंह जाति जाट निवासी जयचौली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. सरोज पुत्री वच्चूसिंह पत्नि रोशनलाल जाति जाट निवासी जयचौली हाल निवासी तरगांव तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
3. सुमित्रा पुत्री वच्चूसिंह पत्नि भूपेन्द्र जाति जाट निवासी जयचौली हाल नि0 मीराना रोड वयाना जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. वच्चूसिंह पुत्र हरीराम
2. नीतू पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी जयचौली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री नरेन्द्र पाल सिंह एडवोकेट प्रार्थीगण
3. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—03.06.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे कास्त की आराजी खसरा नम्बर 1042 / 0.08, 1059 / 0.17, 1164 / 0.18, 1204 / 67 / 0.39, 1206 / 899 / 0.11, 173 / 0.09, 210 / 0.53, 988 / 0.19, 993 / 0.41, 53 / 0.53, 65 / 0.79, 976 / 0.15, 105 / 0.58, 1013 / 0.36, 201 / 0.16, 944 / 0.03 वाकै ग्राम जयचौली तहसील उच्चैन में स्थित है। नकल जमाबंदी सम्बत् 2075— 2078 संलग्न है।

उक्त विवादित आराजी असल अप्रार्थी संख्या 1 की स्वयं अर्जित आराजी नहीं है बल्की पुरखों की पुस्तौनी जायदाद है अर्थात हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बाबा एवं अप्रार्थी संख्या के पिता श्री हरीराम पुत्र चिरंजी की छोडी हुई आराजी है जिसमें हम वादीगण प्रार्थीगण के पिता कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हो रहा है जबकि उक्त विवादित आराजी वादीगण के बाबा स्व श्री हरीराम पुत्र चिरंजी की छोडी हुई आराजी है

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

रामें हम वादीगण/प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खातेदारी अधिकारी जन्म लेते ही पैदा हो जाते है।

उक्त विवादित आराजी को हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 3 अब तक शामिल होकर कास्त करते चले आ रहे है। हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से पिता बच्चूसिंह जन्म से ही रंजिश रखते है और पिता के अधिकारों को निभाने में पूर्णतय असफल रहे है एवं दिनांक 22.08.2022 को स्पस्ट तौर पर धमकी दी है कि में उक्त आराजी से किसी लठैत एवं ताकतवर व्यक्ति को रहन वय मुंतकिल कर दूँगा और तुझे तेरे हिस्से से बेदखल कर दूंगा। उक्त धमकी के कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.06.2023 को अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी गैरसायल संख्या 1 की स्वयं अर्जित सम्पत्ति है जिससे प्रार्थना पत्र की खण्ड सं 2,3,4 में वर्णित आराजी का गैरसायल सं0 2 के हक में दानपत्र कर दिया है दानपत्र के आधार पर उसके नाम इन्द्राज खातेदारी हो चुके है शेष आराजी वर्णित खण्ड सं0 5,6,7 प्रार्थना पत्र गैरसायल सं0 1 के स्वयं के नाम खातेदारी में अंकित है। प्रार्थीगण को इस आराजी के किसी भाग से कोई सम्बन्ध किसी भाग पर प्राप्त नहीं होते है इसलिए सायलान अंपने हक में कोई घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है। विवादित आराजी स्व0 हरीराम से उसके दो पुत्रों बच्चूसिंह व चेतराम एवं चार पुत्रियों गंगा, जमुना, सावित्री, मुकेश ने उनके मरणोपरान्त धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार में समभाग प्रत्येक प्राप्त किया है। उसके बाद पुत्रियों ने अपने हिस्सों का हकत्याग दोनों उपरोक्त भाईयों के हक में कर दिया है इस प्रकार विवादित आराजी के दोनों भाई समभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार हो गये है उनके बीच विभाजन हो चुका है और डिकी के तहत पृथक पृथक कुरे बनाये जा चुके है। इस प्रकार विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 के नाम आयी है और स्वयं अर्जित सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। प्रार्थीगण का इस आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं है प्रार्थना पत्र सायलान काबिल खारिजी है। उक्त प्रकरण को दिनांक 18.07.2023 को निर्णित किया गया था जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के द्वारा अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्रेषित किया। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित आये।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित आराजी नहीं है बल्कि पुश्तैनी आराजी है प्रार्थीगण के परबाबा की छोडी हुई आराजी है। राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 को नाम दर्ज है परन्तु उक्त आराजी में प्रार्थीगण को जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो जाते है एवं विवादित आराजी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण साझेदारी में काश्त कर रहे है। अप्रार्थी द्वारा जो दानपत्र किया गया है उसके सम्बन्ध में एक मुकदमा दानपत्र के निरस्त कराने बाबत् सिविल कोर्ट में पेश किया गया है एवं

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

उक्त मुकदमे में सिविल कोर्ट द्वारा स्टे जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2,3 अप्रार्थी सं. 1 के साथ मिलकर उक्त आराजी को रहन वय मुन्तकिल करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 व 3 में दर्ज आराजी अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज है एवं शेष आराजी अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने वादपत्र के साथ अधुरा खसरा पेश किया गया है। हरीराम के दो पुत्र एवं चार पुत्रियां थी एवं पुत्रियों के द्वारा भाईयों के नाम हकत्याग कर दिया एवं दोनों भाईयों ने विभाजन की डिक्री पारित करा ली इस कारण ये अप्रार्थी सं0 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति कहलाएगी। कुछ आराजी को अप्रार्थी सं. 1 ने रजिस्ट्री से बेचान किया है अतः इसे स्वअर्जित सम्पत्ति माना जाये। आज राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज अप्रार्थीगण के नाम हो रहा है एवं रिकार्डेड खातेदार को बिना वजह पावंद नहीं किया जा सकता।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने जबाव करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम जिस आराजी को बताया वह हरिराम पुत्र चिरंजीवी के नाम से आया है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के बाबा हरिराम की छोडी हुई आराजी है एवं केवल स्वअर्जित आराजी का ही दानपत्र किया जा सकता है पैतृक का नहीं एवं दानपत्र को खारिज कराने बावत् सिविल कोर्ट में मुकदमा लंवित है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जावे।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजों की छोडी हुई आराजी है जिसमें प्रार्थीगण को जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो जाते है। विवादित आराजी से कुछ भूमी अप्रार्थी को जरिये रिलीज डीड वयनामा से प्राप्त हुई है। आरएए भरतपुर के आदेश में भी माना गया है कि विवादित आराजी में कुछ भूमी पैतृक भूमी की श्रेणी में मानी जायेगी एवं हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 6 में सहदायी सम्पत्ती में पुत्रों की भांति पुत्रियों को भी समान अधिकार प्राप्त है। अतः जब तक वाद का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक विवादित आराजी में वादी के हक निहित है एवं वादी के हक के हिस्से का निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी को पैतृक होने के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद करवाना चाहा गया है। उक्त विवादित आरजी में प्रार्थीगण के हक निहित है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो वाद के निर्णय के पश्चात प्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण में अन सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजों के छोडी हुई आराजी है। दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्तागण द्वारा अवगत कराया गया कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के आधार पर रहन का मुक्तशिल करने पर उतारू है जबकि उक्त आराजी पैतृक है। जबकि अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त विवादित आराजी अप्रार्थीगण को जरिये हकत्याग एवं कुछ आराजी जरिये रजिस्टर्ड वसनामा प्राप्त हुई है इसके कारण उक्त आराजी पैतृक नहीं है स्वअर्जित आराजी कहलाएगी। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जमाबंदी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है विवादित आराजी पूर्णतः स्वअर्जित ना होकर कुछ आराजी पैतृक भी है। उक्त आराजी में रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थी को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अग्र की जारी कर पावंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर नम्बर 1042/0.08, 1059/0.17, 1164/0.18, 1204/67/0.39, 1206/899/0.11, 173/0.09, 210/0.53, 988/0.19, 993/0.41, 53/0.53, 65/0.79, 976/0.15, 105/0.58, 1013/0.36, 201/0.16, 944/0.03 वाकै ग्राम जयचौली तहसील उच्चैन (मुताविक जमाबंदी 2075–2078) में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)